अधिकतम तापमान 23.00* » न्यूनतम तापमान 13.00* » सूर्योदय 6:43 » सूर्यास्त 17:17 » डॉलर 89.35 » यूरो 103.59 »

छोटीबड़ीबात

आज ही के दिन 1999 में विश्व के बड़े मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का पुणे के समीप नारायण गांव में उद्घाटन किया गया था।

dainikbhaskarup.com bhaskardigital.com
क्यूआर कोड स्कैन कर पढ़ें ताजा खबरें

देश का विश्वसनीय अखबार

दैनिक भास्कर

नोएडा। वर्ष-16, अंक-164। रविवार, 30 नवम्बर 2025। कुल पृष्ठ 24। मूल्य 6.00 रूपये

झांसी, नोएडा, लखनऊ और देहरादून से प्रकाशित

राजनीति, खेल, बिजनेस और मनोरंजन – सब कुछ अब एक ऐप में
ब्रेकिंग न्यूज, वीडियो रील्स और लोकल अपडेट्स, सब कुछ एक ऐप में।
भारत का सबसे तेज और भरोसेमंद न्यूज ऐप
ब्रेकिंग अलर्ट: बड़ी खबर आते ही नोटिफिकेशन
शॉर्ट रील्स: कम समय में पूरी जानकारी
ट्रेंडिंग स्टोरीज: दुनिया भर में क्या चल रहा है
हर टॉपिक की खबर अब आपके फोन में आज ही डाउनलोड करें
Dainik Bhaskar Digital App
न्यूज़ फ्री
बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज
Android और iOS यूजर्स के लिए अभी सर्च करें या QR स्कैन करें
App Store Google Play

केंद्र का नया रेंट नियम लागू, मकान मालिक-किरायेदार विवाद खत्म होने के आसार

भास्कर ब्यूरो

नई दिल्ली। लंबे समय से चली आ रही किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच विवाद को खत्म करने और किराये के कॉन्ट्रैक्ट नियम को आसान बनाने के लिए नया रेंट एग्रीमेंट कानून लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार का नया रेंट एग्रीमेंट नियम 2025, मनमाने तरीके से किराये में बढ़ोतरी, ज्यादा सिक्योरिटी मनी और कमजोर डॉक्यूमेंट जैसी चीजों को रोकेगा और किरायेदारों को बड़ी राहत देगा। नए नियम बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और अन्य शहरों में किरायेदारों पर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देंगे। साथ ही मकान मालिकों को भी एक स्पष्ट मार्ग और एक विवाद समाधान प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे।

भारत में शहरों की तरफ ब ढ़ ते किरायेदारों और मकान मालिकों के झगड़ों को खत्म करने के साथ ही ये नियम ज्यादा भरोसेमंद, साफ-सुथरा और कानूनी तौर पर मजबूत स्ट्रक्चर पेश करेंगे। आइए जानते हैं रेंट एग्रीमेंट के तहत कौन-कौन से नियम लागू हुए हैं।

रेंट एग्रीमेंट 205 के नियम

● हर किरायेदार के पास साइन करने के 60 दिनों के भीतर डिजिटल स्टैंप किया हुआ और ऑनलाइन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए।

● अगर कोई किराये पर मकान लेता है तो उससे 2 महीने से ज्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जा सकता है। कमर्शियल किराया 6 महीने से ज्यादा का नहीं होगा।

● रजिस्ट्रेशन न कराने पर राज्यों के आधार पर ₹5,000 से शुरू होने वाला जुर्माना लग सकता है।

● किराया सिर्फ 12 महीने पूरे होने के बाद और मकान मालकि द्वारा 90 दिन का लिखित नोटिस दिए जाने पर ही बदला जा सकता है।

● अगर जरूरी मरम्मत की रिपोर्ट की जाती है तो मकान मालिक को कानूनी तौर पर 30 दिनों के अंदर उन्हें पूरा करना होगा। नहीं तो किरायेदार किराये से खर्च एडजस्ट कर सकता है।

● किराये के कमरे या घर में जांच के लिए आने से पहले मकान मालिक को कम से कम 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना होगा।

● किराये से निकालने की इजाज़त सिर्फ़ रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश से और सिर्फ़ कानूनी तौर पर बताए गए आधार पर ही की जाएगी, मकान मालिक अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकता।

● रेंट ट्रिब्यूनल को फाइल करने की तारीख से 60 दिनों के अंदर किराएदारी के झगड़ों का फ़ैसला करना ज़रूरी है। इसमें किरायेदार को हटाने जैसा विवाद भी शामिल है।

● किरायेदारों को किराये की प्रॉपर्टी पर रहने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा।

● किसी भी तरह से ज़बरदस्ती निकालना, डराना-धमकाना और बिजली या पानी का कनेक्शन काटना कानूनी तौर पर सजा का प्रावधान है।

टीडीएस का नियम

₹5,000 से अधिक मंथली किराये के लिए डिजिटल पेमेंट किया जाना चाहिए, ताकि यह वेरिफाई जानकारी रहे और कैश संबंधी विवादों को कम किया जा सके। हाई वैल्यू वाले किराये, जो 50 हजार रुपये प्रत माह से ज्यादा हैं तो अब धारा 194-आईबी के तहत टीडीएस लागू होगा, जिससे प्रीमियम लीज को व्यापक आयकर नियमों के अनुसार बनाया गया है।

किरायेदारों के लिए नए नियम के क्या मतलब हैं?

लिमिटेड डिपॉजिट के कारण अब किरायेदारों को कम एडवांस देना पड़ेगा। मकान मालिक किरायेदारों से मनमाने ढंग से किराया नहीं वसूल सकेंगे। किरायेदारों के पास एक डॉक्यूमेंट होगा और डिजिटल रिकॉर्ड होंगे। विवादों का तुरंत समाधान होगा।

मकान मालिकों के लिए इन नियमों का मतलब?

मकान मालिकों के पास अब एक फॉलो करने वाला सही नियम होगा, जिस कारण कोर्ट की लड़ाईंया कम होंगी। किरायेदारों की टेंशन न करके वे अब आराम से दूसरे कामों में लग सकते हैं. साथ ही रेंट पेमेंट और डॉक्यूमेंटेशन में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी।

सरकार क्या कह रही है?

रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 के साथ, केंद्र का दावा है कि इससे अधिक किराया बाजार में तेजी आएगी, खाली पड़े आवासों को मुक्त करेगा और एक स्वस्थ, विश्वास-आधारित किराया पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा, खासकर भारत के सबसे बड़े शहरों में जहां किरायेदारों को लंबे समय से अस्पष्ट शर्तों से जूझना पड़ रहा है।

उप्र सरकार ने दी है बड़ी राहत

उप्र सरकार किरायेदारी के विवाद को कम करने के लिए स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क की राशि को 90 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय ले चुकी है। सूचना राज्य के सभी जनपदों को भेजी जा चुकी है। नई व्यवस्था के अनुसार दो लाख तक के वार्षिक किराया के एक साल के अनुबंध के पंजीकरण में अभी तक स्टांप और निबंधन शुल्क के मद में 10 हजार रुपये का खर्च आता था। सरकार के फैसले के बाद यह राशि मात्र एक हजार रुपये हो गई है। अनुबंध पांच साल का है तो यह शुल्क 30 हजार रुपये लगता था, जो अब मात्र 3 हजार रुपये ही रह जाएगा। 10 वर्ष की अवधि के अनुबंध में यह शुल्क 40 हजार रुपये से घटकर 4 हजार रुपये हो जाएगा।

सारसुर्खियां

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का संकट बरकरार

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का संकट बरकरार है। दिल्ली में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) औसतन 305 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। अगले कुछ दिनों तक इसमें सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में शाम 4 बजे एक्यूआई बेहद खतरनाक स्तर पर रहा। आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 326, अशोक विहार में 319, चांदनी चौक में 312, द्वारका सेक्टर-6 में 332 दर्ज किया गया। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र में एक्यूआई औसतन 257 रहा।

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में 16 को आएगा फैसला

नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर फैसला टाल दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने अब 16 दिसंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 7 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने 6 सितंबर को सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से 4 जुलाई 2014 को ईडी के पास दर्ज कराई गयी शिकायत की प्रति और 30 जून 2021 के एक दस्तावेज की प्रति दाखिल की थी।

अब यूपी में नहीं होती गुंडागर्दी नहीं चलता माफियाराज : योगी

गीडा के 36वें स्थापना दिवस समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

- **भाषा ही नहीं भाव भी है अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस : मुख्यमंत्री योगी**

भास्कर ब्यूरो

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर लाखों युवाओं को उनके गृहक्षेत्र में ही नौकरी और रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्य प्रारंभ किए हैं। इसके लिए सरकार जे काफी प्रयास किए। सुरक्षा का ऐसा बेहतर वातावरण बनाया जहां गुंडागर्दी नहीं चलती। गुंडा टैक्स, माफियाराज, मनमानापन नहीं चलता।

बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति तथा भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। जीरो टॉलरेंस, केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भाव भी है, जिसे जमीनी धरातल पर सख्ती के साथ उतारा गया। इसका परिणाम है उत्तर प्रदेश आज कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपनी स्थापित करने में सफल हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश से माफिया गायब हैं। कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद है। उपद्रव का प्रदेश अब उत्सव का प्रदेश बन गया है। सीएम योगी शनिवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 36वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। भव्य और विविधतापूर्ण समारोह में मुख्यमंत्री ने गीडा के विभिन्न सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 408 करोड़ रुपये के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

6139 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के लिए आवंटित 115 भूखंडों में से पांच निवेशकों को अपने हाथों से आवंटन प्रमाण पत्र सौंपा। गीडा स्थित नाइलिट कैम्पस से कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए। समारोह के दौरान सीएम ने गीडा में आयोजित तीन दिवसीय यूपी स्टेट ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 34 करोड़ रुपये से बनने वाली फ्लैटेड फैक्ट्री और गोरखपुर में 3.91 करोड़ रुपये की लागत वाली ओडीओपी पैकेजिंग सीएफसी का शिलान्यास किया और उद्यमियों को इंसेंटिव और ऋण धनराशि का वितरण किया।

जहां धर्म की स्थापना, वहां निवेश और रोजगार की आती है बहार : रविकिशन

इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ल ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर पर धर्मध्वजा स्थापना के लिए पीएम मोदी और सीएम के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इन दोनों निस्वार्थ संतों ने धर्म की स्थापना कर दी है। उन्होंने कहा कि जहां धर्म स्थापित होता है वहां निवेश और रोजगार की बहार आने लगती है। सांसद श्री शुक्ल ने कहा कि पिछली सरकार जिस गीडा क्षेत्र में कब्रिस्तान का रास्ता खोज रही थी, वहां सीएम योगी के विजन से बड़े बड़े उद्योग लग गए। इससे पचास हजार लोगों को प्रत्यक्ष और डेढ़ लाख लोगों को परोक्ष रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए विकास से गोरखपुर से पलायन बंद हो गया है। समारोह में स्वागत संबोधन सहजनवां के विधायक प्रदीप शुक्ल ने किया। श्री शुक्ल ने कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में गीडा क्षेत्र पिछले आठ वर्षों से देशभर के निवेशकों की खास पसंद बना हुआ है।

यूपी के औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के सूत्रधार हैं सीएम योगी : नंदी

गीडा के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के सूत्रधार व शिल्पकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम सभी ने उत्तर प्रदेश को अतीत के अंधकार से विकास के प्रकाश के नए दौर में प्रवेश करते देखा है। श्री नंदी ने कहा कि सीएम योगी की अगुवाई में समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के सतत मार्गदर्शन में गीडा औद्योगिक विकास के पथ पर बढ़ते हुए नित नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। गीडा एक मॉडल औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में विकसित हो रहा है।

दिल्ली के निजी अस्पतालों को नोटिस

पाक, बांग्लादेश से एमबीबीएस करके आए डॉक्टरों की सूची दें

नई दिल्ली, (ब्यूरो)। दिल्ली के लाल किला विस्फोट मामले में अब दिल्ली पुलिस ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। इसके तहत दिल्ली के सभी निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर उन डॉक्टरों की सूची मांगी गई है, जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है और दिल्ली में वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बीच जांच एजेंसी एनआईए भी आत्मघाती हमलावर उमर नबी और अल फलाह विश्वविद्यालय के डॉक्टर के बीच संबंधों की जांच में जुटी हुई हैं। एनआईए ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के 30 डॉक्टरों के बयान दर्ज किए हैं। डॉक्टरों से उमर और उसके व्यवहार के बारे में पूछताछ की गई। साथी डॉक्टरों ने बताया कि उमर का व्यवहार बहुत रूखा था और वह अपने कमरे में कुछ चुनिंदा लोगों को आने देता था। इसके अलावा 26 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) ने आरोपी शोएब को 10 दिन की रिमांड पर लिया है। शोएब को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पाटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां एनआईए रिमांड को मंजूरी मिली। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और आरोपी आमिर राशिद अली, जिसकी एनआईए कस्टडी उसी दिन समाप्त हो रही थी, उस भी कोर्ट में पेश किया गया और उसकी कस्टडी को 7 दिन और बढ़ा दिया गया। यह कार बम ब्लास्ट 10 नवंबर को लाल किले के पास हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। शोएब मामले में गिरफ्तार किया सातवां आरोपी है। इससे पहले, एनआईए ने उमर के छह करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। एनआईए का उद्देश्य है कि इस हमले के पीछे कार्यरत पूरे आतंक नेटवर्क के सभी सदस्य पकड़े जाएं।

आतंकी शाहीन के फ्लैट से 18.50 लाख व सोने के बिस्कुट बरामद

फरीदाबाद। दिल्ली धमाके की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने डॉ. शाहीन सईद के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के फ्लैट से 18 लाख 50 हजार रुपए नकदी, सोने के बिस्कुट, करीब 300 ग्राम सोने के गहने तथा विदेश की मुद्रा बरामद की है। जांच टीम को ये सभी सामान अलमारी में बने लॉकर से मिला है। जांच एजेंसी डॉ. शाहीन को लेकर बीती रात अल-फलाह विश्वविद्यालय पहुंची थी।

भारतीय फार्मा उद्योग कैसे बढ़ेगा और कौन-से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा तेजी दिखाएंगे

भास्कर समाचार सेवा

नई दिल्ली- भारत का फार्मा बाजार 8-10 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2030 तक लगभग 120-130 बिलियन डॉलर पहुंच सकता है। सिर्फ सामान्य जेनरिक दवाइयों से आगे, अब complex generics, biosimilars, injectables और oncology, diabetes जैसी विशेष बीमारियों की दवाइयों में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। चीन-निर्भरता कम करने वाली APIs और chronic diseases IYe value-added formulations पर भी ज्यादा फोकस रहेगा और भारत पहले ही दुनिया के 20 प्रतिशत जेनरिक सप्लाई करता है। अब भारत को वॉल्यूम से वैल्यू की ओर बढ़ना है। डॉ. संजय अग्रवाल साइंटिफिक एडवाइजर, ALKOMEX GBN PHARMA USA ने कहा कि हमें सिर्फ ज्यादा दवाइयां बनाने के बजाय, complex generics, biosimilars, advanced drug delivery और CDMO सेवाओं में आगे बढ़ना होगा। कम लागत, उच्च गुणवत्ता और मजबूत अनुपालन compliance भारत की सबसे बड़ी ताकत है। कीमतों में दबाव के बीच आने वाले वर्षों में लागत और मार्जिन सुधार सकता है?जब की फिलहाल वर मार्केट में कीमत गिरावट, रेग्युलेटरी कॉस्ट और कच्चे माल की बढ़ी लागत से मार्जिन दबाव में रहेंगे।